

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प. 2(8)न्याय/87

जयपुर, दिनांक 23-11-16

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषय:—Determination of fee-Cum-allowances to the Counsellors
appointed in Family Courts.

सन्दर्भ:—आपका पत्र क्रमांक Gen/XV/(a)02/2016/5828 दिनांक
29.10.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में पत्रावली वित्त
विभाग को भिजवाये जाने पर वित्त विभाग ने निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की
है:—

“पारिवारिक न्यायालयों में नियुक्त किये जाने वाले काउन्सलर्स
(Counsellors) हेतु फीस व भत्तों के रूप में 1000/— प्रतिदिन पारिवारिक
न्यायालयों में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता होने पर दिये जाने की
सहमति प्रदान की जाती है।”

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101604220 दिनांक
23.11.2016 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,



प्रमुख शासन सचिव